न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0 सर्किट कोर्ट

कैम्प रीवा (म0प्र0)

(116)

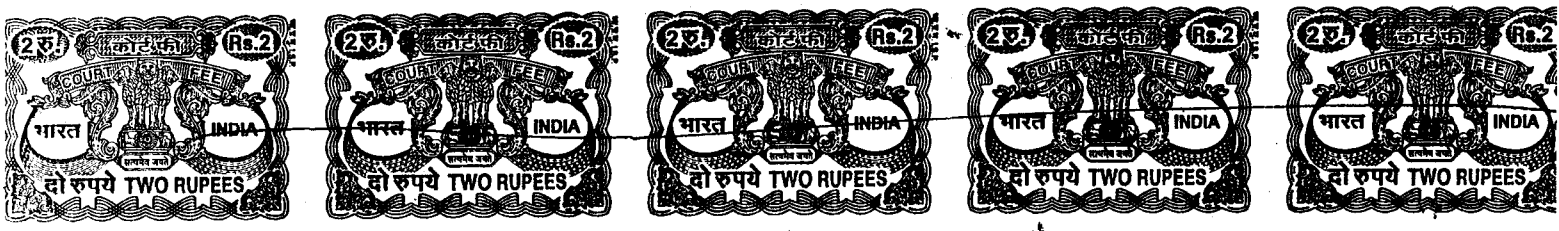

R-5149-II/16

RP 301-4

1. इन्द्रजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री रामपतन सिंह उम्र 60 वर्ष
2. शिवशंकर सिंह पुत्र स्व0 श्री रामपतन सिंह उम्र 58 वर्ष

   दोनो निवासी ग्राम बिझवार तहसील त्यौथर जिला रीवा म0प्र0

..............................निगरानीकर्तागण

बनाम

1. वैभव सिंह तनय शिवदयाल सिंह
2. अनुभव सिह तनय शिवदयाल सिंह उक्त दोनो नाबालिक जरिये बली मां श्रीमती सुषमा सिह पति श्री शिवदयाल सिह।
3. शिवदयाल सिह पिता स्व0 श्री रामयतन सिंह सभी निवासी ग्राम बिझावार तहसील त्योथर जिला रीवा म0प्र0।

..................................गैरनिगरानीकर्तागण

श्री महेन्द्र सिंह एड के द्वारा आज दिनांक 18-3-16 प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान तहसीलदार वृत गिर्द तहसील त्यौथर जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण क0 164/ए6/13-14 आदेश दिनांक 06/02/2016 को पारित किया गया

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू.रा.सं. 1959 ई.।

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य निम्न है :-

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि स्व0 रामयतन सिंह के तीन पुत्र इन्द्रजीत सिंह शिवशंकर सिंह, शिवदयाल सिंह ग्राम बिझवार तहसील त्यौथर जिला रीवा म0प्र0 ने वारिसाना दिनांक 01/09/014 को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5149–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–5–2017	आवेदकगण द्वारा यह निगरानी तहसीलदार वृत गिर्द तहसील त्यौथर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 164/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 06–2–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रश्नाधीन आदेश के द्वारा तहसीलदार ने आवेदक का आपत्ति को इस आधार पर अस्वीकार किया है कि आवेदकगण ने स्वयं स्वीकार किया है कि नामांतरण में बहनों का नाम छोड दिया गया था। इसके साथ ही तहसील न्यायालय में प्रकरण अस्तित्व में आ चुका था इसलिए उक्त नामांतरण अधिकारिता रहित किया जाना उपधारित किया जाता है। तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति का निराकरण कर प्रकरण गुण–दोषों पर तर्क हेतु नियत किया है जिसमें कोई अवैधानिकत अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। आवेदक को अपने पक्ष तहसीलदार के समक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगराधीन आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	